# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

**राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 62 / 2020 / बाड़मेर**

| अपीलांट | बनाम | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|---|
| 1. चुनाराम पुत्र केवदाराम<br>2. देदाराम पुत्र केवदाराम<br>3. मुलाराम पुत्र केवदाराम<br>4. रमेश कुमार पुत्र केवदाराम<br>5. तीजोदेवी पत्नी केवदाराम<br>6. पेमाराम पुत्र हरीगाराम<br>7. मिसरा पुत्र हरींगाराम जाति कुम्हार निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर | | 1. डूंगराराम पुत्र किस्तुराराम<br>2. कानाराम पुत्र किस्तुराराम<br>3. शंकराराम पुत्र किस्तुराराम<br>4. रूपाराम पुत्र भूराराम<br>5. रायमल पुत्र भूराराम<br>6. हरचन्द पुत्र भूराराम<br>7. पदमा बेवा भूराराम जाति कुम्हार निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर<br>8. मांगीलाल पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी गोदारों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी<br>9. भगवानाराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई सनावड़ा खुर्द तहसील धौरीमन्ना<br>10. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी<br>11. त्हसीलदार गुड़ामालानी |

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 152 / 2019 बअनवान डूंगराराम बनाम पेमाराम में पारित आदेश दिनांक 21.12.2020 के विरूद्ध पेश हुई ।**

**उपस्थित**

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नृसिंह सोलंकी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः—27.10.2023**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 03 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण की

27.7.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खातेदारी भूमि मौजा बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 85/1 रकबा 14 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपने खेत तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 856 रकबा 119.16 बीघा में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। इसी रास्ते से होकर हमारे खेत तक आ जा सकते है जिसका उपयोग कई वर्षों से लगातार रास्ते के रूप में लेते आ रहे हैं। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस की आराजी भूमि को दो भागों में विभक्त किया गया। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व न तो अपीलांटगण को मौके पर उपस्थित होने हेतु नोटिस दिया गया और न ही मौतबिरन के रूबरू मौका रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार द्वारा उतरदाता संख्या 01 से 03 के कहे अनुसार उससे मिलावट कर एकतरफा रिपोर्ट तैयार किया। मौका रिपोर्ट बिना मौका पर जाकर, बिना मौका जांच कर तैयार की गई है प्रस्तावित रास्ता पर अपीलांटगण का पक्का निर्माण किया हुआ है, जिसका उल्लेख मौका रिपोर्ट पर नहीं किया गया। तहसीलदार द्वारा जो मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित की गई है वह कार्यालय में बैठे बैठे तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस का वकालतनामा पेश हुआ उस पर हस्ताक्षर अधिवक्ता के नहीं हुए भूलवंश लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्ताक्षर करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस जगह रास्ता प्रस्तावित किया गया वहां मौके पर अपीलकर्ता की पुरानी ढाणी बनी हुई है। उतरदाता के खातेदारी खेत तक आने जाने हेतु अन्य रास्ता प्रचलित है उक्त तथ्यों को आर आई ने छुपाया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा

27.7.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2023(1) Page 548

RRT 2022-23(Supp.) Page 200

RRT 2019(1) Page 403

RRT 2019(2) Page 1507

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कही अधिक दूरी के है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे। उतरदाता के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2019(2) Page 1098

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

27.5.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 152/2019 बअनवान डूंगराराम बनाम पेमाराम में पारित आदेश दिनांक 21.12.2020 को यथावत रखा जाता है।

27.X.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 27.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर